न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 17/2015

उनवान

1. भंवर,
2. किशन सिंह,
3. मेंवा सिंह,
4. लक्ष्मण सिंह,
5. राम सिंह,
6. जय सिंह,
7. सज्जन सिंह,
8. रणजीत सिंह,
9. किरण पि0 छोटू सिंह जाति रावत नि0 राजोसी, केरा की बेरी, नसीराबाद

——वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत

बनाम

1. धारा सिंह पुत्र हरजी,
2. प्रेम पुत्री हरजी,
3. कालू,
4. महेन्द्र पुत्र लाडू,
5. लीला पुत्री लाडू,
6. राजू पुत्र लाडू, जाति रावत नि. राजोसी, नसीराबाद,
7. हेमी देवी पत्नी नानू सिंह जाति रावत नि. राजोसी रूपारेल, नसीराबाद,
8. उप पंजीयक, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
10. जय सिंह पि. महावीर
11. पूजा पुत्री महावीर जाति रावत निवासी ग्राम राजोसी, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 8 व 9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.8.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजोसी की निम्न आराजी वादीगण के पूर्वज की [illegible]

चौसाला खसरा नम्बर	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2653	3234	0–17–0	4365	0.14
2655	3237	0–3–10	4371	0.02

——2

उपखण्ड अधिकारी

उपरोक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 2653 के वंर्किग खसरा नमबर 3234 रकबा 0—17—0 के हाल खसरा नम्बर 4365 रकबा 0.14 व चौसाला खसरा नम्बर 2655 के वंर्किग खसरा नम्बर 3237 रकबा 0—3—10 के हाल खसरा नम्बर 4371 रकबा 0.02 की आराजी के तत्कालीन खातेदार रामा, हरजी व लाडू पि. पीथा द्वारा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1976, व 27.04.1976 को छोटू पुत्र लादू को बैचान कर दिया। विक्रेता रामा नाऔलाद फौत हो गया है। हरजी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा लाडू के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 6 है। क्रय दिनांक से ही क्रेता/वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। क्रेता की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा विक्रय पत्र की पालना में क्रेता/वारिसान के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तललब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे। वाद विचारण के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र में अंकित खसरा नमबर का नामानतकरण क्रेता के पक्ष में नही हुआ है।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। चौसाला खसरा नम्बर 2653 व 2655 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 में विक्रेता! के पिता पीथा पुत्र सरदारा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 3234 रकबा 0—17—0 व 3237/2 रकबा 0—3—10 की आराजी विक्रेता रामा, हरजी, लाडू पि. पीथा के नाम खातेदारी दर्ज है। पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नमबर 3234 रकबा 0—17—0 तत्कालीन खातेदार रामा, हरजी, लाडू पि. पीथा ने वादीगण के पिता छोटू पुत्र लादू को दिंनाक 04.05.76 को तथा चौसाला खसरा नम्बर 2655 रकबा 0—3—10 के वंर्किग खसरा नम्बर 3237 रकबा 0—3—10 हरजी पि. पीथा ने वादीगण के पिता छोट पुत्र लादू को दिनांक 03.08.76 को बैचान कर दिया था। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी क्रेता/वारिसान के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 धारा सिंह ने आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को बैचान कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 3 से 7, 10 व 11 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दी गयी। तत्कालीन खातेदार द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजी मुतनाजा का बेचान किया गया है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने प्रकरण में [illegible] पेश की है। वाद के तथ्यों के खण्डन के काई दस्तावेज अथवा साक्ष्य [illegible] है। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 2655 के वंर्किग खसरा नम्बर 3237 के हाल खसरा नम्बर 4371 रकबा 0.02 की आराजी का विक्रय हरजी पि. पीथ द्वारा ही बैचान किया गया है। उक्त आराजी पर हरजी का हिस्सा ही विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

हुआ है। खसरा नम्बर 4365 रकबा 0.14 के पूर्ण हिस्से पर व खसरा नम्बर 4371 रकबा 0.02 पर हरजी के हिस्से पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 4365 रकबा 0.14 व 4371 रकबा 0.02 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। खसरा नम्बर 4365 के पूर्ण हिस्से पर व खसरा नम्बर 4371 पर प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भवंर सिंह बनाम धारा सिंह

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 17/2015
पेश करने की दिनांक – 23.02.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रणजीत रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 4365 रकबा 0.14 व 4371 रकबा 0.02 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। खसरा नम्बर 4365 के पूर्ण हिस्से पर व खसरा नम्बर 4371 पर प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद